



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-21.12.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के 02 भिन्न-2 मुकदमों में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व कुल 6000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत 1- मु०अ०सं०- 594/2015 धारा 457/380/411/413 भादवि तथा 2- मु.अ.सं.- 797/2015 धारा 454/380/411/413 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन चौहान पुत्र गोपाल चौहान निवासी- एस-2/214 सिकरौल पोखरा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 20.12.24 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक में 02 वर्ष कारावास एवं कुल 3000/- रु. अर्थदण्ड (कुल 02 वर्ष का कारावास एवं 6000/-रुपये अर्थदण्ड) से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी